न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई, जिला टोंक

पीठासीन अधिकारी :— रामकरण सिंह, (RAS)

दावा सं0——16/2024

प्रविष्टि दिनांक——19.03.2024

1. अजय चौधरी पुत्र रामकरण चौधरी जाति जाट उम्र 50 वर्ष निवासी ब्रजलालपुरा, तहसील निवाई, जिला टोंक राज.

वादी

वनाम

1. तहसीलदार महोदय निवाई तहसील निवाई जिला टोंक राज.

प्रतिवादी

निर्णय

दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट 1956 बाबत् दुरूस्त किये जाने नाम प्रस्तुत किया कि वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 378/2 रकबा 0.0253 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 182/1 रकबा 1.0497 हैक्टयर, खसरा नम्बर 200 रकबा 0.4426 हैक्टयर, खसरा नम्बर 202 रकबा 0.3035 हैक्टयर, खसरा नम्बर 218 रकबा 0.5059 हैक्टयर, खसरा नम्बर 238 रकबा 0.7841 हैक्टयर, खसरा नम्बर 297 रकबा 0.1644 हैक्टयर, खसरा नम्बर 309 रकबा 0.3162 हैक्टयर, खसरा नम्बर 310 रकबा 0.2909 हैक्टयर, खसरा नम्बर 314 रकबा 0.3162 हैक्टयर, खसरा नम्बर 371 रकबा 0.2023 हैक्टयर, खसरा नम्बर 378/1 रकबा 0.2529 हैक्टयर, खसरा नम्बर 388 रकबा 0.1897 हैक्टयर, खसरा नम्बर 426 रकबा 0.2150 हैक्टयर, खसरा नम्बर 453 रकबा 0.2782 हैक्टयर, खसरा नम्बर 465 रकबा 0.1518 हैक्टयर, खसरा नम्बर 472 रकबा 0.3035 हैक्टयर, खसरा नम्बर 480 रकबा 0.1518 हैक्टयर, खसरा नम्बर 490/1 रकबा 0.1391 हैक्टयर, खसरा नम्बर 490/3 रकबा 0.1644 हैक्टयर, खसरा नम्बर 522 रकबा 1.2141 हैक्टयर खसरा नम्बर 93 रकबा 0.1644 हैक्टेयर कुल किता 21 कुल रकबा 7.6007 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 239 रकबा 0. 3541 हैक्टेयर खसरा नम्बर 0.1644 हैक्टेयर वाके ग्राम बृजलालपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज. में स्थित है जिस पर वादी अपने हिस्से की भूमि को काश्त कर अपना व अपने परिवार का जीवनयापन करता चला आ रहा है एवं अपनी भूमि को शारीरिक एवं मानसिक रूप से धारित किये हुये है एवं आज भी वादी का उक्त खसरा नम्बर की भूमि पर मौके पर कब्जा है। यह कि वादी को ग्राम बृजलालपुरा में बद्रीलाल के नाम से भी जाना जाता है इस प्रकार ग्राम बृजलालपुरा में वादी की वादपत्र के चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि में वादी का नाम बद्रीलाल पुत्र रामकरण दर्ज है जबकि वादी वास्तविक नाम अजय है जो ग्राम गुन्सी की जमाबन्दी खाता संख्या 342 व 343 से साबित व प्रमाणित है तथा राजकीय दस्तावेजो, जनआधार कार्ड, आधार कार्ड एवं वाहन की आर. सी व आयकर विभाग का पेन कार्ड व कक्षा 10वीं की मार्कशीट व ड्राईविंग लाईसेन्स व पहचान कार्ड आदि समस्त दस्तावेजो में वादी का नाम अजय ही है तथा बद्रीलाल पुत्र रामकरण नाम का ग्राम बृजलालपुरा में वादी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति भी नही है इस कारण वादी के नाम को दुरूस्त किया जाकर उक्त जमाबन्दी में से गलत नाम को सही किया जाकर वादी का नाम बद्रीलाल की जगह अजय राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में इन्द्राज किया जाना विधिसंगत एवं न्यायसंगत है। इस कारण उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्ती कर वादी का नाम सही अंकित किया जाना विधिसंगत एवं न्यायसंगत है। यह कि वादी को अपना नाम जमाबन्दी में बद्रीलाल इन्द्राज होने व अन्य दस्तावेजो में अजय अंकित होने की वजह दैनिक जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड रहा है। वादी अपनी भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई ऋण नहीं ले पा रहे है। इस कारण वादी का नाम बद्रीलाल की जगह अजय अंकित किया जाना विधिसंगत एवं न्यायसंगत है। यह कि प्रतिवादी तहसीलदार निवाई उक्त भूमि के लैण्ड होल्डर होने के कारण उन्हे आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। यह कि वाद कारण 5 दिवस पूर्व पैदा हुआ जब वादी उक्त जमाबन्दी को लेकर बैंक कर्मचारियों के पास गये एवं बैंक से लोन लेने के लिये सम्पर्क किया तो शाखा प्रबन्धक ने लोन देने से मना कर दिया कि आप अपना नाम उक्त दस्तावेजो के अनुसार अपनी जमाबन्दी में भी अंकित करवावे तब से वाद कारण बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी लगातार पैदा हो रहा है। यह कि दावा उचित न्यायालशुल्क पर अन्दर मियाद पर पेश

है। यह कि उक्त भूमि मान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार के भीतर स्थित होने के कारण उक्त वाद का श्रवणाधिकार एव क्षेत्राधिकार मान्य न्यायालय को प्राप्त है। अतः वादीगण का वाद वहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निम्न प्रकार डिकी किया जावे। यह कि वाद वहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी दुरूस्ती इन्द्राज इस प्रकार डिकी फरमाया जावे कि वादपत्र के चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि जो वाके ग्राम बृजलालपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज. में स्थित है जिसमें वादी का नाम बद्रीलाल के स्थान पर अजय किया जाकर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दुरूस्त इन्द्राज कर राजस्व रिकार्ड व जमाबन्दी में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रतिवादी को दिया जाना विधिसंगत एवं न्यायसंगत है। इस आशय की डिकी मान्य न्यायालय पारित फरमावे। अन्य अनुतोष जो हितकर वादी को वादी के हक में बक्शायी जावे।

इसके पश्चात प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा साक्ष्य दस्तावेज के रूप में नकल जमाबंदी संवत 2070—73, 2071—2074 आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, पहचान पत्र, मार्कशीट, पेनकार्ड की छायाप्रति आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

पटवार हल्का चनानी व भू0अ0नि0 गुन्सी से रिपोर्ट प्राप्त, शामिल पत्रावली है।

प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का एवं पैरोकार सरकार ने पटवार हल्का चनानी व भू0अ0नि0 गुन्सी रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया। बहस का अलग से विवेचन नहीं किया जा रहा है।

हमने प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध दस्तावेजो का अध्ययन किया एवं अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। इसके पटवार हल्का चनानी व भू0अ0नि0 गुन्सी की रिपोर्ट अनुसार भी प्रार्थी का नाम बद्रीलाल पुत्र रामकरण व अजय पुत्र रामकरण एक ही व्यक्ति होना बताया गया है। इस प्रकार प्रार्थी व द्वारा प्रस्तुत पत्रो के तथ्यो को सही मानते हुए इस्तदुआ स्वीकार की गई। इसलिए न्याय हित व भविष्य में अनावश्यक वादो की बढोतरी को रोकने के लिए इस पर विचार किया जाना उचित है। अतः इकबालिया जवाब एवं पटवार हल्का चनानी व भू0अ0नि0 गुन्सी की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट 1956 बाबत् दुरूस्त किये जाने नाम स्वीकार करना उचित समझता है।

आदेश

फलतः आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट 1956 बाबत् दुरूस्त किये जाने नाम बाबत
भूमि भूमि खसरा नम्बर 378/2 रकबा 0.0253 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 182/1 रकबा 1.0497 हैक्टयर,
खसरा नम्बर 200 रकबा 0.4426 हैक्टयर, खसरा नम्बर 202 रकबा 0.3035 हैक्टयर, खसरा नम्बर 218
रकबा 0.5059 हैक्टयर, खसरा नम्बर 238 रकबा 0.7841 हैक्टयर, खसरा नम्बर 297 रकबा 0.1644
हैक्टयर, खसरा नम्बर 309 रकबा 0.3162 हैक्टयर, खसरा नम्बर 310 रकबा 0.2909 हैक्टयर, खसरा
नम्बर 314 रकबा 0.3162 हैक्टयर, खसरा नम्बर 371 रकबा 0.2023 हैक्टयर, खसरा नम्बर 378/1 रकबा
0.2529 हैक्टयर, खसरा नम्बर 388 रकबा 0.1897 हैक्टयर, खसरा नम्बर 426 रकबा 0.2150 हैक्टयर,
खसरा नम्बर 453 रकबा 0.2782 हैक्टयर, खसरा नम्बर 465 रकबा 0.1518 हैक्टयर, खसरा नम्बर 472
रकबा 0.3035 हैक्टयर, खसरा नम्बर 480 रकबा 0.1518 हैक्टयर, खसरा नम्बर 490/1 रकबा 0.1391
हैक्टयर, खसरा नम्बर 490/3 रकबा 0.1644 हैक्टयर, खसरा नम्बर 522 रकबा 1.2141 हैक्टयर खसरा
नम्बर 93 रकबा 0.1644 हैक्टेयर कुल किता 21 कुल रकबा 7.6007 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 239 रकबा
0.3541 हैक्टेयर खसरा नम्बर 0.1644 हैक्टेयर वाके ग्राम बृजलालपुरा तहसील निवाई जिला टोंक,
तहसीलदार निवाई की रिपोर्ट के अलोक मे स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार, निवाई को आदेश
दिये जाते हैं कि प्रार्थी का नाम उपरोक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में बद्रीलाल पुत्र रामकरण के
स्थान पर अजय पुत्र रामकरण अमल दरामद कर, पालना से अवगत करावें।

निर्णय आज दिनांक 07/10/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामकरण सिंह)
उपखण्ड अधिकारी निवाई